पंचायती राज संस्थाएँ एवं महिला सशक्तिकरण : उत्तराखण्ड़ के विशेष सन्दर्भ में

मीना आर्या*

स्त्री एक जननी तथा मानव जीवन का आधार स्तम्भ है। यह घर, परिवार तथा समाज को दृढ़ता प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान में महिलाएँ विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, परन्तु वैश्विक निर्वाचन क्षेत्रों में इनका प्रतिनिधित्व पुरूषों की अपेक्षा अत्यधिक कम है। भारत की गणना ऐसे प्रथम प्रजातांत्रिक देशों में की जाती है, जिसने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया था, परन्तु उस समय उनको ना तो वैधानिक क्षेत्रों में उचित स्थान प्राप्त था और न ही नीति–निर्माण में उनका कोई योगदान था। कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक कारक उनकी राजनीतिक सक्रियता के मार्ग में रूकावटें उत्पन्न करते रही है।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ की आधी जनसंख्या–शक्ति केवल रसोई तक सीमित हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में विभिन्न नियमों व विनियमों के माध्यम से लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। ऐसा परिकल्पित किया गया कि ये नियम और अधिकार स्वतः देश की महिलाओं के राजनीतिक विकास में परिणत हो जायेंगे, परन्तु राजनीति में महिलाओं की अधिकारिता के मुद्दे की समाज में उनकी सामान्य अवस्था से पृथक करके नहीं देखा गया। अतः उनकी विशाल संख्या के बावजूद महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में दोयम दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में बहुमत का शासन होता है। महिलाओं की लगभग आधी जनसंख्या की उपेक्षा करके भारतीय संविधान के समाजवादी, समतावादी तथा लोकतांत्रिक ढॉचे के अन्तर्गत राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य लिंग, प्रजाति, सामाजिक वर्ग तथा आयु वर्ग में निष्पक्षता करते हुए समान अवसर प्रदान करना तथा जीवन के सभी क्षेत्रों यथा– सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक में विकास की प्रक्रियाओं तथा नीति निर्माण में सहभागिता करना है। इस प्रकार सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान जागृत होता है और वे अपना जीवन–निर्वाह अपनी इच्छानुसार करने में सक्षम हो पाती हैं। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी संकल्पना है। किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण को गतिमान बनाये रखने हेतु राजनीतिक सशक्तिकरण एक आवश्यक शर्त होती है। **डॉ0 भीमराव अम्बेडकर** के अनुसार, ''बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के सामाजिक सशक्तिकरण व्यर्थ है''।

लम्बे समय से महिलाएँ सामाजिक रूढ़ियों, नियमों व तथाकथित पितृसत्तात्मक मानसिकता से पीड़ित तथा शोषित रहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निर्मित भारतीय संविधान और उसमें निरन्तर होते संशोधनों से इस तथ्य को बराबर अनुभव किया जाता रहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ठोस कदम उठाना आवश्यक है। इस हेतु संविधान में अनेक प्रावधान किये गये है, जैसे– भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति–निर्देशक तत्व इत्यादि में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य प्राप्ति के प्रमुख उद्देश्य समाहित किये गये थे। परन्तु सहभागिता के आधार पर यह उद्देश्य सैद्धान्तिक ही रहे। व्यवहारिक रूप में इन्हें तभी प्राप्त किया जा सकता था जब महिलाओं को राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी के अवसर प्रदान किये जायें। महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्रों व संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सन् 1952 में सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरूआत की गई, जो कि जन–जागृति, जन–सहयोग व उत्साह के अभाव के कारण असफल हो गया। इसके पश्चात् सन् 1959 में 'बलवन्त राय मेहता समिति' की सिफारिशों के आधार पर त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई और इसमें यह स्वीकार किया गया कि समग्र राष्ट्र का विकास महिलाओं की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। इस समिति में यह सुझाव दिया गया कि यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में कोई महिला निर्वाचित ना हो सके तो इस स्थिति में ऐसी दो महिलाओं का मनोनयन कर लिया जाए, जो बच्चों व महिलाओं के कार्यो में रूचि रखती हों। परन्तु वास्तव में इसमें उन्हीं महिलाओं का मनोनयन हुआ, जो राजनीतिक अथवा सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली परिवारों से सम्बन्धित थीं। फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने व उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सन् 1992 में 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा का गठन अनिवार्य कर दिया गया। जिसका प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्र की असंख्य महिलाओं ने

*शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, कु0वि0वि0 नैनीताल

इसमें भागीदारी की। इस अधिनियम के द्वारा जहाँ एक ओर त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक प्रशासन के तीसरे सोपान के रूप में वैधानिकता प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को भी मान्य किया गया और महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बल मिला। इस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में एक–तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। कुछ समय पूर्व तक ग्रामीण राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य थी, परन्तु वर्तमान में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएँ निर्वाचित होकर विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रहीं हैं। इस प्रकार तृणमूल स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एक बहुचर्चित संकल्पना के रूप में उभरा।

देवभूमि कहलाने वाला सीमान्त पर्वतीय राज्य 'उत्तराखण्ड़' सन् 2000 में भारत के एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया इसके द्वारा 'उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम', 1947 और 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम', 1961 को 'उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम', 1947 एवं 'क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (उत्तरांचल) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश', 2001 के द्वारा अंगीकृत किया गया। इसके अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था को थोडे–बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड़ त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत व ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत आते हैं। पूर्व में यहाँ पर भी अन्य राज्यों की भाँति महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था थी, जिसे 12 मार्च, 2008 में पारित 'उत्तराखण्ड़ पंचायत (संशोधन) अधिनियम', 2008 के अन्तर्गत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। राज्य सरकार ने ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक असाधारण कदम उठाते हुए ही आरक्षण संख्या में वृद्धि की।

यहाँ पर कुछ विचारणीय प्रश्न है कि क्या 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनायेगी और सरकार के महान प्रयत्नों के बावजूद भी महिलाओं के साथ अब तक 'दोयम दर्जे के नागरिक' की तरह व्यवहार क्यों किया जाता रहा है ? इन प्रश्नों के गहन अन्वेषण की आवश्यकता है। कई सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाएँ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहे हैं, परन्तु व्यवहार में हम पाते हैं कि निर्दिष्ट सामाजिक उद्देश्यों और उपब्धियों के मध्य, कानूनी ढ़ाँचे और अनुभवपरक वास्तविकता के मध्य, प्रतीकात्मकता और वास्तविकता के मध्य विस्तृत गहरी खाई देखी जाती है।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध प्रविधिः–

प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है। इसमें उत्तराखण्ड़ के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोडकर) में सम्पन्न हुए त्रि–स्तरीय पंचायती राज निर्वाचन, 2008–09 तथा 2014 में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और उनके सशक्तिकरण के विस्तार को खोजने का प्रयत्न किया गया है तथा इसमें द्वितीयक आँकडों, यथा– विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, पुस्तकों, वेब सोर्स तथा पत्रिकाओं इत्यादि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारिता के अवलोकन पर आधारित एक अनुभवात्मक अध्ययन है तथा इसमें वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के स्तर को ज्ञात करना और इसके माध्यम से महिलाओं में हुए सशक्तिकरण का विश्लेषण करना है।

उत्तराखण्ड़ त्रि–स्तरीय पंचायती राज निर्वाचन 2008–09 तथा 2014 (जनपद हरिद्वार को छोडकर)

तालिका – 01

ग्राम पंचायत प्रधान के पदों में महिलाओं की स्थिति

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल पंचायतें		सामान्य वर्ग महिला		अनुसूचित जाति महिला		अनुसूचित जनजाति महिला		अन्य पिछडा वर्ग महिला		कुल महिला	
	निर्वाचन वर्ष	2008–09	2014	2008–09	2014	2008–09	2014	2008–09	2014	2008–09	2014	2008–09	2014
01	अल्मोड़ा	1146	1168	422	418	132	146	01	01	20	22	575	587
02	उधमसिंह नगर	309	391	65	73	24	33	02	23	46	68	137	197
03	चम्पावत	290	313	111	118	26	32	01	00	09	08	147	158
04	नैनीतल	460	511	160	176	60	67	01	02	11	13	232	258
05	पिथौरागढ़	669	690	213	205	87	93	12	15	27	33	339	346
06	बागेश्वर	397	416	136	136	53	59	02	02	09	11	200	208
07	उत्तरकाशी	454	504	84	95	57	65	04	04	84	90	229	254
08	चमोली	601	615	223	223	57	64	09	10	11	12	300	309
09	टिहरी गढ़वाल	979	1038	360	362	74	91	00	01	57	65	491	519
10	देहरादून	403	460	54	68	43	54	68	72	39	37	204	231
11	पौड़ी गढ़वाल	1208	1212	487	471	107	123	01	01	15	15	610	610
12	रूद्रप्रयाग	323	339	126	129	30	35	00	00	06	06	162	170
	कुल	7239	7657	2441	2474	750	862	121	131	334	380	3646	3847

स्रोत – राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड़, 2008–09 व 2014

उत्तराखण्ड़ त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संरचना में ग्राम पंचायत प्रधान का पद अत्यधिक शक्तिशाली है। तालिका संख्या 01 से स्पष्ट है कि विगत दोनों ही निर्वाचनों में महिलाओं ने आरक्षण (50%) से अधिक स्थान प्राप्त किये। पंचायत, प्रधान के पद पर 2008–09 के चुनाव में सर्वाधिक महिलाओं की संख्या जनपद चम्पावत (50.68%) जबकि सबसे कम स्थान पर जनपद उधमसिंह नगर (44.33%) रहा। 2014 के चुनाव में नैनीताल नपद में सर्वाधिक (50.48%) तथा जनपद बागेश्वर (50%) व टिहरी गढ़वाल (50%) में सबसे कम स्थान प्राप्त हुआ।

तालिका – 02

क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों में महिलाओं की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल वार्ड		सामान्य वर्ग महिला		अनुसूचित जाति महिला		अनुसूचित जनजाति महिला		अन्य पिछडा वर्ग महिला		कुल महिला	
	निर्वाचन वर्ष	2008 –09	2014	2008 –09	2014	2008–09	2014	2008 –09	2014	2008 –09	2014	2008 –09	2014
01	अल्मोड़ा	405	397	146	139	48	51	00	00	10	10	204	200
02	उधमसिंह नगर	273	280	79	81	21	24	17	14	20	21	137	140
03	चम्पावत	130	134	50	47	12	15	00	00	04	05	66	67
04	नैनीताल	257	271	88	93	34	35	01	01	07	09	130	138
05	पिथौरागढ़	299	291	96	91	39	40	05	06	11	10	151	147
06	बागेश्वर	120	120	39	37	16	18	01	01	04	04	60	60
07	उत्तरकाशी	204	206	63	62	26	28	02	02	12	12	103	104
08	चमोली	249	254	91	89	27	28	03	04	07	07	128	128
09	टिहरी गढ़वाल	350	345	139	134	27	32	00	00	09	06	175	172
10	देहरादून	240	240	51	54	24	25	31	28	14	13	120	120
11	पौड़ी गढ़वाल	432	398	172	161	41	42	00	00	05	06	218	209
12	रूद्रप्रयाग	116	118	47	44	11	12	00	00	03	03	61	59
	कुल	3075	3054	1061	1032	326	350	60	65	106	106	1553	1544

स्रोत – राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड़, 2008–09 व 2014

उपर्युक्त तालिका संख्या 02 से विदित होता है कि सदस्य, क्षेत्र पंचायत निर्वाचन वर्ष 2008–09 में महिलाओं ने क्रमशः 50.50 प्रतिशत तथा वर्ष 2014 में 50.55प्रतिशत स्थान प्राप्त किये। 2008–09 के सदस्य क्षेत्र पंचायत चुनावों में रूद्रप्रयाग जनपद (52.58%) प्रथम स्थान पर और बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल तथा देहरादून (50%) अन्तिम स्थान पर रहे जबकि 2014 के सदस्य क्षेत्र पंचायत चुनावों में महिलाओं ने पौडी गढ़वाल जनपद में सर्वाधिक (52.51%) तथा टिहरी गढ़वाल जनपद में न्यूनतम (49.85%) स्थान प्राप्त किये।

तालिका – 03

जिला पंचायत सदस्य के पदों में महिलाओं की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल वार्ड		सामान्य वर्ग महिला		अनुसूचित जाति महिला		अनुसूचित जनजाति महिला		अन्य पिछडा वर्ग महिला		कुल महिला	
	निर्वाचन वर्ष	2008 –09	2014	2008– 09	2014	2008 –09	2014	2008 –09	2014	2008 –09	2014	2008 –09	2014
01	अल्मोड़ा	48	48	17	17	06	06	00	00	01	01	24	24
02	उधमसिंह नगर	32	42	10	11	02	04	02	03	02	03	16	21
03	चम्पावत	15	15	05	05	02	02	00	00	01	01	08	08
04	नैनीताल	26	31	09	11	03	04	00	00	01	01	13	16
05	पिथौरागढ़	35	33	12	09	05	06	01	00	01	02	19	17
06	बागेश्वर	19	20	06	06	03	03	00	00	01	01	10	10
07	उत्तरकाशी	23	25	07	08	03	03	00	00	02	02	12	13
08	चमोली	27	27	09	09	04	03	00	01	01	01	14	14
09	टिहरी गढ़वाल	45	45	16	16	04	04	00	00	03	03	23	23
10	देहरादून	33	43	09	13	03	00	03	06	02	03	17	22
11	पौड़ी गढ़वाल	49	42	20	17	04	04	00	00	01	01	25	22
12	रूद्रप्रयाग	19	18	08	06	02	02	00	00	01	01	11	09
	कुल	371	389	128	128	41	41	06	10	17	20	192	199

स्रोत – राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड़, 2008–09 व 2014

ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत की भाँति जिला पंचायत में भी महिलाओं ने आरक्षण (50%) से अधिक स्थान प्राप्त किये हैं। इसके अन्तर्गत 2008–09 के चुनावों में महिलाओं ने सर्वाधिक स्थान रूद्रप्रयाग जनपद (57. 89%) में तथा न्यूनतम स्थान अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, व नैनीताल जनपद (50%) में प्राप्त किये, जबकि 2014 के चुनावों में सर्वाधिक स्थान पर चम्पावत (53.33%) तथा न्यूनतम स्थान पर अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, बागेश्वर तथा रूद्रप्रयाग (50%) जनपद रहे।

निष्कर्ष एवं सुझावः–

73वें संविधान संशोधन से पंचायतों में महिलाओं की भूमिका व उनका प्रतिनिधित्व और अधिक मजबूत हुआ है लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण पंचायतों में महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व तक ही सीमित है ? क्या महिलाओं का पंचायती राज से वास्तव में सशक्तिकरण हुआ है और यदि हाँ, तो किस सीमा तक व किन अर्थों में ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। जिन पर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मूल्यांकन करना आवश्यक है। वास्तव में पंचायतें महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व तक सीमित न होकर, उनके अधिकारों के उपभोग करने तक विस्तृत हैं। निःसन्देह पंचायती राज ने महिला सशक्तिकरण में वृद्धि की है लेकिन इसकी मात्रा क्षेत्र व परिस्थिति के अनुसार भिन्न–भिन्न रही है। जिन पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि स्वयं निर्णय प्रक्रिया में सक्रियता से भागीदारी करती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बाह्य अभिकरणों से सक्रियता से करवा पाती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण हुआ है और दूसरी ओर यदि महिला प्रतिनिधि अपने घर से स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आ पाती और उनके पति अथवा अन्य पुरूष अभिभावक ही उनके अधिकारों को उपयोग करते हैं तो कहा जा सकता है कि अमुक महिला प्रतिनिधि का सशक्तिकरण नहीं हुआ है। उत्तराखण्ड़ में पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी ये दोनों स्थितियाँ देखने को मिलती

हैं। यह अत्यधिक विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि उत्तराखण्ड़ की महिलाएँ वर्षों से यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ की महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा अधिक सक्रियता और भागीदारी करती हैं और साल–दर साल इसमें वृद्धि होती जा रही है। पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित 'चिपको आन्दोलन' हो या समाज–सुधारक 'नशामुक्ति आन्दोलन' अथवा 'पृथक राज्य गठन हेतु आन्दोलन', सभी में उत्तराखण्ड़ राज्य की महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर प्रतिभाग किया। परन्तु निम्नलिखित बिन्दुओं के कारण पंचायती राज निर्वाचन प्रभावहीन लगने लगते हैं–

1 पूर्व में कोई भी राजनीतिक दल पंचायती राज निर्वाचन में हस्तक्षेप नहीं करते थे, परन्तु अब स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो गई है। विधायक, सांसद तथा अन्य मंत्री स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं।
2 कई बार सत्ता की लालसा के कारण योग्य महिलाएँ आपस में प्रतिद्वन्द्वी हो जाती हैं और अयोग्य महिलाएँ निर्वाचित हो जाती हैं।
3 कई बार प्रतिद्वन्द्वी प्रत्याशियों को धन का लोभ देकर उन्हें चुनाव से नाम वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता हैं। यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण को क्षति पहुँचाने का कार्य है।
4 चुनावी प्रक्रिया में नामांकन से लेकर चुनावी–परिणाम तक की समस्त व्यूह–रचना रणनीति में अधिकांशतः महिला प्रतिनिधियों के परिवार के पुरूष सदस्य का व्यापक हस्तक्षेप देखा जाता है। यह स्थिति महिलाओं की योग्यता तथा स्वतंत्र पहचान पर एक विस्तृत प्रश्न चिन्ह है।

राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि अवश्य हुई है। पंचायती राज निर्वाचन 2008–09 तथा 2014 से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने इसमें बहुत ही सफलता अर्जित की है। समझना आवश्यक है कि आरक्षण के माध्यम से भले ही पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाये, परन्तु जब तक निर्वाचित महिलाओं को बिना हस्तक्षेप किये स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया जायेगा तब तक न ही महिलाएँ सशक्त होंगी और ना ही पंचायती राज के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। बेहतर होगा कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की साक्षरता दर को शत्–प्रतिशत करने हेतु ठोस कदम उठाये जाएँ। आज पंचायतों की भूमिका पूर्व की भाँति नहीं है। इनके कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ–साथ वित्तीय जवाबदेहिता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि महिला प्रतिनिधि शिक्षित नहीं होंगी तो वह अपने उत्तरदायित्वों का उचित ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएँगी। महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण से अगली पीढ़ी की महिलाएँ अधिक शिक्षित व जागरूक होंगी तथा पंचायतों में अधिक उचित ढंग से सहभाग कर पायेंगी। यह भी कबूलना होगा कि महिलाएँ आज भी प्राचीन मान्यताओं से जकडी हुई हैं और इन्हें तोड़ने के लिए अन्ततः उन्हें ही आगे आना होगा और यह तभी संम्भव है जब वे शिक्षित तथा जागरूक होंगी। अतः यह कहा जा सकता है कि धीरे–धीरे ही सही पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1 सिंह रणबीर एवं सिंह सूरत (सं0), लोकल डेमोक्रेसी एण्ड गुड गवर्नेन्स–फाइब डिकेड्स ऑफ पंचायती राज, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्रा0लि0, नई दिल्ली।
2 सिंह जे0 एल0, विमन एण्ड पंचायती राज, सनराइज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2005
3 नवानी एवं रावत (सं0), उत्तराखण्ड ईयर बुक 2016, नवाँ संस्करण, बिनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून, 2016

जर्नल :

1 मैन, नेचर एण्ड सोसायटी, वॉल्यूम 2009–10
2 जर्नल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्स्टीट्यूट, वॉल्यूम 16–17, संयुक्तांक 2012–13
3 भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष चतुर्थ, अंक प्रथम व द्वितीय, जनवरी–दिसम्बर, 2012

वेब सोर्स :

http://sol.du.ac.in/mod/book/view.php
http://www.amarujala.com/uttarakhand/panchayati-raj-bill-pass-in-uttarakhand-assembly
http://www.bbc.com/hindi/india/women-panchayat-mk.html
http://www.samaylive.com/editorial
http://www.jansamachar.com/wp-content/up loads
http://www.estayaqa.blogspot.com
http://www.mediadarabar.com
http://www.janadesh.in/innerpage.aspx
http://www.merapahadforum.com/articles